न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 674 / 2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. मांगीलाल पुत्र भैराराम विश्नोई निवासी– ग्राम नौसर तहसील लोहावट, जोधपुर।		1. सुखराम पुत्र हरचन्दराम 2. उदाराम पुत्र पोकर 3. रामकिशन पुत्र पोकर 4. सुखाराम पुत्र पोकर 5. लाखाराम पुत्र जगमाल 6. किशनाराम पुत्र जगमाल 7. सोनाराम पुत्र जगमाल सभी जातियान–विश्नोई निवासी– ग्राम नौसर तहसील लोहावट, जोधपुर। 8. तहसीलदार, लोहावट, जोधपुर।

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.6.2022 जो राजस्व प्रकरण संख्या 13/2022 अनवन सुखराम वगैराह बनाम मांगीलाल में उपखण्ड अधिकारी, लोहावट ने पारित किया।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 8 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 13 दिसम्बर, 2022

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 8 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 8 की ग्राम नौसर तहसील लोहावट के ख0सं0 215 रकबा 4.2654 हैक्टर भूमि आई हुई है जिसके सेढा सेढ के खातेदारों के मध्य आपस में विवाद होता है जिस विवाद का खत्म करने हेतु पत्थरगढी किये जाने का निवेदन करते हुए ख0सं0 215 का सीमाकंन किया जाकर अलग–अलग मुटाम कायम किये जावें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये जो नोटिस सम्यक रूप से तामील करवाये बिना ही एक तरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए प्रत्यर्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ख0सं0 215 की पत्थरगढी किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2022 को पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। पक्षकारान के अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस को सुना गया।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। वर्तमान में रेस्पोडेन्टस का वाद प्रस्तुत कर पत्थरगढी का हवाला अधिनस्थ न्यायालय में दिया गया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

द्वारा स्थगन आदेश खारिज किया गया तो दिनांक 5.12.22 को पत्थरगढी की धमकी दी गई तब अपीलान्ट ने नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 7.12.2022 को नकल प्राप्त हुई। तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अतः अपील को अन्दर म्याद सुमार की जावें।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर एवं धारा 111 व 128 की के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायिक आदेश पारित नहीं कर बिना किसी कारण दर्शाये एक प्रशासनिक आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बिना तरमीम के ही पारित किया गया है जबकि बिना तरमीम के पत्थरगढी नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने हितबद्ध काश्तकारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो आदेश नक्शे व पूर्व सीमांकन रिपोर्ट जो अनुपस्थिती में तैयार की है, के सम्बन्ध में आदेश पारित किया है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि मौके पर रेस्पो0 संख्या एक ता 8 ने अपने खेत के चारों और पक्के पत्थर रोपकर तारबन्दी की हुई है जिस कारण वहॉ पत्थरगढी की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में उनका प्रार्थना पत्र गलत रूप से अधिनस्थ न्यायालय को पोषनीय नहीं था जबकि कब्जे को लेकर विवाद है तो सक्षम न्यायालय में वाद के जरिये ही निस्तारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मूल नक्शा व वर्तमान सेग्रीगेशन की कार्यवाही में तैयार किये गये नक्शे में अन्तर है जिस तथ्य का फायदा उठाकर रेस्पो0 संख्या 1 से 8 अधिक भूमि पर व अपीलार्थी की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है। पक्षकारों के मध्य सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा वाद के निस्तारण तक पत्थरगढी का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2022 को निरस्त किया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपनी ओर कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 17.6.2022 को आदेश पारित किया गया है एवं अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 8.12.2022 को न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की गई है जो म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त खसरान भूमि के पडौसी खातेदारान को विधिवत नोटिस जारी कर तलब किया गया था परन्तु वे बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित रहे है। अपीलान्ट का ख0सं0 217/1 है। खातेदारान पक्षकारान को अपनी खसरा भूमि की नियमानुसार पैमाइश एवं पत्थरगढी करवाने का कानूनी अधिकार है जिसके तहत ही उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुतोष चाहा है। अपीलान्ट के अधिनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उनके खसरा सं0 215 रकबा 4.2654 हैक्टर की सीमाओं का राजस्व टीम गठित कर सीमाज्ञान चिन्हित कर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश पारित किया है जो विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखा जावें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

पक्षकारान के अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस को सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 17.06.2022 इत्यादि का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु प्रकट किये गये कथनों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम नौसर अपनी खातेदारी की कृषि भूमि ख0सं0 215 रकबा 4.2654 हैक्टर भूमि एवं पडौसी खातेदारान के मध्य सीमा विवाद होने के कारण सीमाचिन्ह स्थापित करते हुए पत्थरगढी करवाने हेतु आवेदन किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 8 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रेस्पो0 संख्या एक की खातेदारी वाली भूमि का राजस्व टीम गठित कर सीमाज्ञान पश्चात विधिवत पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार लोहावट को आदेशित किया गया। अपीलार्थी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उभय पक्षकारान की उपस्थिति में दोनों खसरान संख्या 215 व 217/1 की पैमाइश की जाकर विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होगा तथा इस बाबत पक्षकारान के अधिवक्ता सहमत भी है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2022 को आंशिक संशोधित किया जाकर तहसीलदार, लोहावट को निर्देशित किया जाता कि अपील वर्णित खसरा संख्या 215 एवं अपीलान्ट के खसरा संख्या 217/1 की भूमि हेतु राजस्व टीम गठित की जाकर पुख्ता सीमा चिन्हों से दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में पैमाइश की जावे तत्पश्चात विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही अमल में लाई जावें। निर्णय आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर